

रेलवेज और रेल कर्मचारियों ने जिस पट्टा, कौशल, धीरज और अनुशासन के साथ काम किया, उस के लिए हम उन्हें भी बढ़ाई देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कोर कमांडर ने यह भी कहा कि जहां तक यातायात की सुविधाओं का संबंध है, हमारे सिविलियन ट्रक ड्राइव ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह आर्मी के नियमों और अनुशासन के विरुद्ध है कि सिविलियन ट्रक ड्राइवर्ज को युद्ध के क्षेत्र में बुलाया जाये और काम करने दिया जाये, लेकिन आपरेण्ड के टाइम में युद्ध-सामग्री को ठीक समय पर पहुंचाने के लिए सिविलियन ट्रक ड्राइवर्ज ने जो काम किया, उस के लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। हम समझते हैं कि सामान्य रूप से या एमरजेंसी के समय में आप अगर सैनिकों की सैवायें लेते हैं ट्रक की रक्षा करने के लिए या पुलों की रक्षा करने के लिए तो भी उनको पूरी-पूरी सुविधायें मिलनी चाहियें। कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि युद्ध की गम्भीरता को देख कर पूरी की पूरी रेलवे लाइन को ले लें और अपने कब्जे में कर लें। ऐसे अवसरों पर जितनी भी सुविधायें दे सकें देने का जो आपने प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक समय पर आपने उनको सुविधायें देने का प्रस्ताव किया है और मैं चाहता हूँ कि इस बिल को आप तुरन्त पास करवा दें।

15 hrs.

**MOTION RE. REPORT OF THE
BACKWARD CLASSES COMMISSION—Contd.**

Mr. Deputy-Speaker: The House shall now take up further consideration of the motion moved by Shri Yashpal Singh about the Backward Classes Commission.

श्री श्रीय (अलीगढ़) : तेरह बरस के बाद यह इतनी बड़ी समस्या विचारार्थ

आई है। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, इसको बढ़ा दिया जाये। इस समस्या के भारीपन को देखते हुए जो समय रखा गया है वह बहुत ही कम है।

Mr. Deputy-Speaker: How much time does the House want? Two hours have been allotted out of which one hour and fifteen minutes are left. Shall I extend it by another two hours?

श्री श्रीय : कम से कम आठ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। संबन्धित मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Not two days. We will extend it by two hours.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : 28 करोड़ जनता से इसका सम्बन्ध है। इसके लिए समय बहुत कम रखा गया है। यह बढ़ना चाहिये।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : बहुत लोगों का इससे सम्बन्ध है रिपोर्ट भी बहुत महत्व की है। आई भी यह काफ़ी दिनों के बाद है। समय बहुत कम दिया गया है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: What does the hon. Minister say? Some hon. Members want 8 hours and some 2 hours.

Shri A. S. Saigal (Janjgir): Two hours.

The Minister of State in the Ministry of Law and Department of Social Security (Shri Hajarnavis): Two hours would be sufficient.

Mr. Deputy-Speaker: I will extend it by three hours.

श्री मधु लामये (मुंगेर) : मुझे भी इसके बारे में कुछ अर्ज करना है। यह जो कमिशन है इसकी नियुक्ति

[श्री मधु लिमये]

1953 में हुई थी। दो साल के बाद यह रपट आई और इस पर अब हम लोग बहस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ऐसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में हम लोगों का जो दृष्टिकोण रहा है वह ठीक नहीं रहा है। इसलिये आपकी मार्फत मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका समय ज्यादा बढ़ा दिया जाए और यह जो मांग की गई है कि आठ घंटे दिये जायें यह बिल्कुल उचित मांग है और इस मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री श्रीय : मेरी प्रार्थना है कि इतनी भयंकर समस्या के प्रति उदासीन होना समझदारी की बात नहीं होगी। तेरह बरस के बाद तो इस समस्या पर हम विचार करने जा रहे हैं और नौ घंटे में उसको तोला जा रहा है। मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि इसके लिए दो पूरे दिन रखे जायें।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Let the discussion be extended to the whole session.

Shri Maurya: I wish you were an untouchable. Then you will appreciate their feelings.

Mr. Deputy-Speaker: For the present we will have three hours.

Shri Bade (Khargone): Does it mean that it has been extended by five hours—two hours plus three hours?

Mr. Deputy-Speaker: No, no. The time is extended by three hours. A learned advocate like Shri Bade should not interpret it like this.

Shri Priya Gupta (Katihar): Even if there will be no action, let there be at least discussion.

Shri A. S. Saigal: Two hours have already been allotted. It may be extended by another two hours so that

more members can participate in the discussion.

Mr. Deputy-Speaker: I have already raised it by three hours.

श्री बालवीकी (खुर्जा) : इस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दस साल के बाद यह विषय आया है। पिछड़ी जातियों का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। पिछड़ी जातियों के मस्तिष्क में भी कोई भयंकरता के साथ गहरा खयाल हो तो उसको हल आपको करना चाहिये। जो उचित हो वह किया जाना चाहिये। बहस के लिए तीन घंटे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से और रिपोर्टों पर हम दस घंटे तक बहस करते रहे हैं उसी तरह से इस पर भी हमें दस घंटे तक बहस करनी चाहिये और इसको भी कम से कम दस घंटे दिये जाने चाहियें।

Shri R. S. Pandey: What is your decision?

Mr. Deputy-Speaker: It has been extended by three hours.

Shri R. S. Pande (Guna): You should make it five hours.

Mr. Deputy-Speaker: Originally two hours were allotted. Now it has been extended by another three hours. Now Shri M. P. Swamy.

Shri M. P. Swamy (Tenkasi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am glad that the House has an opportunity to discuss the report submitted by the Backward Classes Commission. The people of the backward classes can be compared to the middle class people. In the world there are wealthy people and poor people and middle

class people with fixed income. That is at the economic level. In the social level we find in our country crores of people belonging to the backward class or communities. They are socially oppressed and repressed. Economically they are poor. Now, due to the concessions given to them and the economic development measures taken by Government their position is somewhat better, so to say. I say that the concessions and facilities and preferences given to these people should not be treated in a light manner. These people really deserve help. We have to lift them up to the level of the advanced communities. In the social life we find that the backward class people are concentrated in certain areas throughout the country in large numbers and so, we have to give them certain facilities to ameliorate their condition.

Taking into account their peculiar position, the President appointed a Commission to go into their conditions and suggest measures for improving their position. Kaka Kalelkar was appointed as the Chairman of this Commission. He toured the whole country and examined hundreds of witnesses. They visited dwelling houses in certain places and certain institutions to find out the real condition of the backward classes.

15:08 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

From the terms of reference we find that the task of the Commission is to probe into the conditions of their living, the economic condition of such people and suggest measures for the benefit of the Government to put them into action so that the economic, social and political condition of the people may be improved.

The backward classes are a class by themselves. The very fact that they are backward classes shows that they have been oppressed as a section. In certain areas they are socially boycotted. So, these people have to be given certain concessions.

1657(Ai)LSD—3.

As I said earlier, the main concession given by the Government so long has been the educational concession, certain scholarships, certain reservation or rotation of seats and certain generous preference in the matter of appointment of these people in Government service. Political power has some prestige and influence in the country. Therefore, these people have to be given representation in legislatures and local bodies.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभानेत्री
महोदया, मरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।
हाउस में गणपति नहीं है।

Mr. Chairman: The hon. Member might resume his seat. The bell is being run.

Now there is quorum. He might continue his speech.

Shri M. P. Swamy: As I was saying, the Backward Classes people require kind treatment at the hands of our Government. For this, I would suggest, as the Commission has suggested, certain measures to be adopted to improve the conditions.

Among the Backward Classes people there is a special community which is now called "Denotified Tribes". They were originally called ex-criminal tribes. Under the British rule, to put these people down, the criminal Tribes Act was passed and after a great agitation after independence this Act was repealed. We know the hardships and horrors experienced by the people belonging to, what is now called, the Denotified Tribes. These Denotified Tribes are categorised into two groups—one nomadic and the other settled. For the nomadic and the settled people of these communities the Government should give some more concessions to improve their lot.

I find from the list of Madras State, which I now have with me, that there are about 155 communities belonging to the Backward Classes. Out of that

there are 56 communities belonging to the most Backward Classes and there is a list of the Denotified Tribes which number about 70. This is the state of affairs in the Madras State from which I hail. These Denotified Tribes are concentrated in certain places. To try to wean them away from criminal act certain measures were suggested.

In this connection I would refer to the suggestions made by the All India Punarvasit (that is, Denotified Tribes) Jatis Federation which was held in Delhi on the 31st March and the 1st and 2nd April, 1963. They made certain suggestions regarding education, economic facilities, social problems and administrative problems. I refer to one important suggestion made by them which was:—

“For Vimukta Jatis which are not included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, seats should be reserved in educational and technical institutions.”

Then,

“Special efforts should be made to provide employment to persons belonging to this community in public and private sector industries and even reserve some percentage of posts in Government services.”

Regarding administrative problems, they suggested:—

“Attempts should be made to draw a comprehensive list of Denotified Communities existing in each State and ascertain their approximate population and pockets of concentration.”

The most important one is:—

“There should be a separate Advisory Board for Denotified Tribes at the Centre and similar Boards should be set up at the State level wherever the population of these communities is considerable.”

In Madras State, I know, these communities are concentrated in certain areas of certain districts. To improve the backward area these people the State Government have to identify the backwardness of these areas—that is the criteria given by the Planning Commission—and then they have to make certain research by experts to put forward certain suggestions to improve these areas. In the Madras State, the Shankaran Koil area in the Tinneveli District and the East Ramnad area are the most backward areas. The Backward Classes people dominate in these areas. There is always drought condition. The last crop was a failure throughout the District. In such cases what measures is the Government going to take to improve these areas? I suggest, that wells can be dug in those places. In the Ramnad area tubewells can be constructed. In the Shankran Koil area, waters flowing through Kerala unutilised into the sea can be diverted to the adjoining area of Shankaran Koil and those places can be cultivated. The main occupation of these people is agriculture; agriculture is their mainstay and cattle is their wealth for that. Cattle die in large numbers when epidemics appear and these people cannot do any cultivation. Our livestock census of the year 1951 shows that the cattle of this country was 153 million and 43 millions buffaloes. If we do not take any measures to protect the cattle wealth, agriculture will be affected. That is why the Commission itself has suggested a scheme that the insurance of the cattle wealth should be introduced in this country as early as possible. I reiterate their suggestion and suggest that the cattle wealth must be preserved to help the farmer to do his cultivation.

Regarding education, that is the main thing for these people. Without education one cannot improve and without education, one's knowledge is

incomplete. That is why our Government is giving so much money. You find that, in the Memorandum of Fourth Plan, the Government is going to set apart Rs. 205 crores for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward class people. I suggest that a considerable amount may be set apart to rehabilitate the Denotified Tribes in proportion to their population and some welfare measures may be adopted. In this connection I would like to point out how the administrative machinery functions. I would refer to the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes. He says:

"It will be noticed that the progress both with regard to the Central sector and the State sector schemes for the welfare of the Denotified Communities is indeed very poor. Perhaps proper attention is not being paid to the execution of welfare schemes for these Communities. This is rather disconcerting, particularly when practically the whole of the expenditure on the schemes taken up for the Denotified Communities is to be borne by the Government of India. It would, therefore, appear necessary for the Union Ministry of Home Affairs to issue strict instructions to the authorities concerned in the various States to pay special attention to this programme."

That is why, I suggest that, as the Commission has already proposed, a separate Ministry must be formed for these people. But I hope the present Ministry of Social Security are doing good work and their strength may be increased, so that proper attention is given to implement the measures. It is easy to formulate certain suggestions and to give schemes, but in practice we find how difficult it is to execute them. That is why I say that we must concentrate on the implementation of the schemes for the welfare of these people. Fortunately, we have in each district, a

District Welfare Officer who is in overall incharge of the backward classes, scheduled castes and tribes, and whose main function is to look after their welfare. He must be a full-fledged officer; in some districts, he is, but in certain districts he is not. I would suggest that he must be made a full-fledged officer with independent powers, so that he can execute the schemes very well through the Community Development plans. Whatever benefit the backward classes get has to be implemented through the C. D. Block or the Tribal Block area. The Community Development, as it stands today, develop the community as a whole and within that, if they give more concessions and facilities to develop these backward classes and the Denotified people, the whole country as well as the people improve; our economic condition will improve to a considerable extent.

But, under the Community Development schemes, there are certain handicaps, i.e., the people have to pay a certain contribution towards, the cost of welfare works. For example, if the Denotified people want to dig a well in the Community area or want a road connected to certain town, with the Govt's assistance a certain percentage, of the cost of the work but these people are economically backward and cannot pay that 50 or 20 per cent of the people's contribution. In such cases I would suggest and that the Social Security Ministry should think very seriously of exempting these people from the payment of the people's contribution.

Proper housing should also be given to these people. The Commission Report points out the condition of the places which they had visited; they were startled at the appalling conditions in which the people were living; there was overcrowding; the houses were constructed only with mud walls with thatched roofs. Therefore, more housing schemes should be allotted to benefit the backward class people.

[Shri M. P. Swamy]

Now we find that Government are providing certain sites for houses, but they are not giving enough funds to build houses. That is why I suggest that, in addition to giving sites free or at nominal rates, these people must be given subsidy to construct the houses.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा एक ब्यवस्था का सवाल है और वह यह कि हाउस में इस समय कोरम नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung.

Now there is quorum. The hon. Member may continue and try to conclude.

Shri M. P. Swamy: I shall finish in about two minutes.

Now there is the Emergency—there is the Indio-Pak conflict. Many people come forward to join the Army. In certain areas there are certain communities which are known for their fighting instincts. This is the proper time to utilise their fighting instinct and I suggest that this Ministry as well as the Defence Ministry should consider, while recruiting jawans for emergency purposes, of taking these people in large numbers, so that they may show their valour to the country.

Before I conclude I must say that, though we may agree that the welfare measure is an essential one, Government may say that due to paucity of funds, certain schemes have to be postponed or given up. I must plead with the Government as well as with the Ministry of Social Security that, even though they cannot increase the number of welfare schemes or the funds for the schemes, they should not cut short the funds for the welfare schemes already sanctioned.

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : सभापति महोदय, इस बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट में एक बात का जिक्र किया गया है कि उसमें किस तरीके के क्लासिज को संशोधित किया जाय। एक जगह उन के रिमाक्स में कहा गया है कि यू० पी० गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मिर्जापुर में जो 14 तरह की आदिम जातियां हैं उनको आदिम जाति में शुमार किया जाये। इसका विरोध यू० पी० गवर्नमेंट करती है जिस पर इस कमिशन की राय है कि यू० पी० गवर्नमेंट की यह पालिसी बिल्कुल अनचाउंड और अनवाइज है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज पर विचार करे कि ये जो मिर्जापुर की आदिवासी जातियां हैं और जो दूसरी जगहों के आदिवासियों की तरह ही बहुत ही गरीब और दलित हैं उनको आदिवासियों में शुमार किया जाये और दूसरी स्टेटों में जो आदिवासियों को फायदा शिक्षा के सम्बन्ध में या नौकरी के सम्बन्ध में मिलता है वह उन्हें मिले। मैं चाहता हूँ कि सरकार यह दो-तरफा नीति न बतौं। जब हिन्दुस्तान में वह एक स्टेट के अन्दर एक तरह के लोगों को आदिवासी ट्रीट करती है तो कोई कारण नहीं कि दूसरी स्टेट में उसी तरह के लोगों को वैसा ट्रीट न करे। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, यू० पी० असेम्बली में भी इस बात की मांग की गई कि उन्हें आदिवासियों में शुमार किया जाये।

दूसरी तरफ एक बात का जिक्र आया है असम के उन लोगों का, उन आदिवासियों का, जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम के चाय बागानों में काम करने गये हैं। वहां उन लोगों ने मांग की है कि उन्हें भी आदिवासियों में शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शुमार किया जाये। मगर जो कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी, इस किरम के लिस्ट को सुधार और संशोधन करने के

लिए उस कमेटी के सामने असम गवर्नमेंट ने फरमाया कि यदि उन को आदिवासी शुमार किया जाय तो स्थानीय पोलिटिकल साइफ में एक डिस्टर्बेंस फ्रीएट हो जायेगा। इस दलील से मैं तो हैरान हूँ।

15.32 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

क्या भारत सरकार किसी खास पोलिटिकल पार्टी और किसी खास इलाके के पोलिटिकल स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए अपने काम में वैसा व्यवहार और परिवर्तन करेगी। मैं चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि असम गवर्नमेंट की सुविधा या असुविधा के खयाल से यह संशोधन नहीं होना चाहिये बल्कि उन आदिवासियों को न्याय दिलाने व उन की उन्नति का खयाल करते हुए होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि असम के चाय-बागानों में जो आदिवासी बोग हैं उन को आदिवासियों में शुमार किया जाय।

बैंकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट में चेम्बरलैन साहब श्री कालेलकर ने एक विशेष बात को महत्व दिया है और वह यह है कि बिहार और मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जो अब तक सरकारी ग्रांट दी जा रही है उस का 80 प्रतिशत ईसाई आदिवासियों को मिल रहा है और बाकी जो अईसाई आदिवासी हैं जिन के लिए कि यह ग्रांट दी जा रही है उन को पर्याप्त और उचित न्यायपूर्ण सुविधा नहीं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आप को बतलाऊँ कि बिहार में 40 लाख आदिवासी लोग रहते हैं जिन में कि ईसाई आदिवासी एक लाख से कम हैं मगर हम लोगों ने जब हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि 90 प्रतिशत स्कालरशिप का रुपया उन ईसाई आदिवासियों को मिलता है। नौकरियों की भी यही हालत है।

कालेलकर साहब ने जोर दे कर कहा है कि इस का विशेष ध्यान रखा जाय कि आदिवासियों की ग्रांट आदि का सारा फायदा उन ईसाई आदिवासियों को ही न मिलना चाहिये। ब्रिटिश राज्य के जमाने में चूँकि ईसाई आदिवासियों को फायदा होता ही था हम लोगों को आशा यह थी कि स्वराज्य आने के बाद इस सम्बन्ध में कुछ न्यायपूर्ण परिवर्तन आयेगा मगर हम लोग देख रहे हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी उन ईसाई आदिवासियों को ही अधिक फायदा मिलता है। ईसाई मिशनरियों को जो सुविधा अंग्रेजी राज्य के जमाने में मिलनी थी वही सुविधा आज स्वराज्य के जमाने में दी जा रही है। यह एक बड़ा भारी अन्याय आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में उचित और आवश्यक कदम अविलम्ब उठाये। अब से ले कर जितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं उन में 90 प्रतिशत फायदा ईसाई आदिवासियों को ही मिला है। अईसाई आदिवासियों को अभी तक न्यायोचित परिमाण में ग्रांट्स का फायदा नहीं मिला है इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अब अईसाई आदिवासियों को फायदा मिलना चाहिए। जहां एक ओर हम लोग जरूर चाहते हैं कि अईसाई आदिवासियों के ऊपर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और उन के साथ सहानुभूति दिखा कर उन्हें फायदा दे लेकिन दूसरी ओर मैं यह नहीं कहता कि उन को अर्थात् ईसाई आदिवासियों को कोई भी हिस्सा न मिले, न्यायोचित हिस्सा उन्हें भी दिया जाय लेकिन आबादी के अनुसार अधिकतर हिस्सा अईसाई आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था जल्दी कर ले।

एक और चीज मैं बतलाऊँ। डेबर कमिशन ने बताया है कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग अधिकतर जिन इलाकों

[श्री ह० च० सोय]

में रहते हैं वहाँ उन के रहने के लिए मकानके वास्ते जमीन मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डेकर कमिशन ने बड़े ही विस्तार से इसे कहा है कि आदिवासियोंके क्षेत्रों में, जितने बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर बैली कारपोरेशन, झरकेला व रांची, ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर उनकी जमीने ली गई हैं। वह डिस्प्लेस कर दिये गये हैं। यह जो डिस्प्लेस हो गये हैं यह मूलतः एग््री-कल्चरिस्टस हैं, डिस्प्लेस हो जाने के बाद इन के पास कोई ऐसा दूसरा जरिया नहीं है ताकि उनका जीवन यापन हो सके। कुछ दिनों के लिए उनको कारखानों में अनस्किल्ड लेबर के तौर पर ले जाते हैं लेकिन बाद में वे हटा दिये हैं। टाटा कम्पनी के इलाके के अन्दर जमशेदपुर में दो, तीन एकड़ में आदिवासियों का अपने मुँहों को जलाने के लिए घाट था जिसको कि टाटा कम्पनी ने ले लिया। इसी जमशेदपुर में टाटा ने 30 एकड़ का एक पार्क बनाया हुआ है। अब जरा आप ही सोचिये कि जहाँ एक और इन लोगों का पूजा का स्थान है, मुँहों को गाढ़ने की जगह है वह जगह उन बच्चे गरीब आदिवासियों से छीद ली गई और वहाँ दूसरी ओर इसी जमशेदपुर में यह पार्क बना है। यह 20, 30 एकड़ का पार्क धनी और ऊँचे वर्गों के आराम व सुविधा आदि के लिए है। यह आदिवासियों का किस तरह का विकास है मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार टाटा कम्पनी को आदेश दे कि उन का पूजा का स्थान और मुँहों को गाढ़ने की जगह लौटा दे।

इतना ही नहीं, नौकरियों के मामले में भी होम मिनिस्ट्री के निर्देशन के बावजूद भी जो संरक्षण नौकरियों में दिये गये हैं उन का पालन नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बतलाऊँ। रेलवे बोर्ड की उच्च कार्यवाही का, जिस में होम मिनिस्ट्री के उच्च

निर्देशन का जान बूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। लखनऊ में एक डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स आरगनाइजेशन रेलवे में की है। वहाँ के आदिवासी और प्रीड्यूल्ड कास्ट के जो नौकरी करने वाले भाई हैं उन लोगों ने इस बात की मांग की थी कि इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन की जो जगहें हैं उस के लिए उन्हें प्रमोशन की सुविधा दी जाय। मगर वहाँ के जो डाइरेक्टर हैं उन्होंने जानबूझकर इसके बारे में होम मिनिस्ट्री के जो इंड्रक्शंस हैं उनको फौलो नहीं किया है। वह डाइरेक्टर महोदय यह कैसे प्ली ले सकते हैं उन को बड़े इंड्रक्शंस मालूम नहीं थे? बात तो दरअसल साफ़ यह थी कि वह उन पर अमल नहीं करना चाहते थे। इस के लिए आदिवासी हरिजनों की असोसियेशन ने रेलवे बोर्ड से कहा कि उस के मुजिव यह प्रमोशन का सिलसिला चलायें लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि अब हम इस में कुछ नहीं कर सकेंगे प्रागे भविष्य में ही हम इसके मुताबिक करेंगे। वहाँ के असोसियेशन वालों का सवाल है कि क्या कारण है कि जब से यह निर्देशन 1957 में गया है 1964 तक जो सुविधा उन्हें मिल जानी चाहिए थी वह क्यों नहीं दी गई? यह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी कि बिना पर मैं कह सकता हूँ कि होम मिनिस्ट्री के निर्देशन का कई एक ऐसे विभाग हैं जो कि जानबूझ कर उल्लंघन करते हैं। इस से स्पष्ट है कि होम मिनिस्ट्री के इंड्रक्शंस का मजाक किया जा रहा है। यही बात पब्लिक अडरटोकिंग के सम्बन्ध में लागू होती है, जैसा कि अभी रांची में हुआ, झरकेला में हुआ। इस तरीके की बहुत सारी अडरटोकिंगें हैं और जाहिर है कि जब इतनी बड़ी अमलराशि उन में भारत सरकार की लगी हुई है तो वह एक तरीके की गवर्नमेंट अडरटोकिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स आदि में आदिवासियों और प्रीड्यूल्ड कास्ट के लोगों

को नौकरियों आदि के बारे में संरक्षण प्राप्त है वही संरक्षण इन पब्लिक ग्रंडरटेकिंग्स में भी एक्सटेंड हो जाने चाहिये। मगर मैं इस रिपोर्ट में यह देखता हूँ कि शैंडयूस्ड कास्टस ऐंड ट्राइब्स के लोगों को ऐसे पब्लिक ग्रंडर-टेकिंग्स में वही संरक्षण दिये जायें या न दिये जायें इस सम्बन्ध में अभी भी कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में प्रविलम्ब निर्णय किया जाय।

हमारे बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से में बहुत सी सरकारी परती जमीन पड़ी हुई है। यदि सरकार का इरादा है कि नीचे के तबके को कुछ सहायता दी जाये और उस की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाये, तो वहाँ के हरिजनों और आदिवासियों को मजे से वह जमीन दी जा सकती है। लेकिन इस बारे में सरकार इतनी उदासीन है कि है कि फालतू और परती जमीन होते हुए भी उन लोगों को जमीन नहीं दी जा सकी है। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार को इस संबंध में दोबारा निर्देश दिया जाये कि जहाँ इस तरह की जमीन हो, उन लोगों के साफ प्रविलम्ब उस का बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जिन क्षेत्रों में परती जमीन उपलब्ध नहीं है, जहाँ लैंड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत सरप्लस लैंड नहीं है, वहाँ इस बारे में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहाँ जमीन उपलब्ध है, वहाँ हरिजनों और आदिवासियों को जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

डेवर कमीशन ने कहा है कि सन्थाल परगना में सन्थाल परगना टैनासी एक्ट और छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टैनासी एक्ट के होते हुए भी इन जिलों में आदिवासियों की जमीन किसी न किसी बहाने से छीनी जाती है। डेवर कमीशन की यह जबर्दस्त रिक्मेंडेशन है कि इन कानूनों में ऐसा उचित संशोधन किया जाये कि पिछले पन्द्रह बीस बरसों में नाजायज तरीके से आदिवासियों की जो जमीनें छीनी गई हैं,

उन्हें उन को वापस दिलाया जाये। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में प्रविलम्ब कार्यवाही करे। राज्य सरकार ने इन कानूनों में उचित संशोधन लाने के सम्बन्ध में बहुत ठीकी नीति अपनाई हुई है और जमीन की लूट आदिवासियों की जारी है।

हमें यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि रांची जैसी जगहों में हवी इंजीनियरिंग कार-पोरेशन के नाम से हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन ली गई है, लेकिन सरकारी अफसरान और बड़े बड़े ठेकेदार उस जमीन का एलाटमेंट ले लेते हैं और उस का व्यापार करते हैं। कहां तो जमीन पब्लिक ग्रंडरटेकिंग के नाम से ली जाती है और कहां उस पर का व्यापार किया जाता है, जब कि गरीब आदिवासियों के रहने तक के लिए, अपने झोंपड़े तक बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार इस तरह प्रविलम्ब ध्यान दे और उचित कार्यवाही करे।

श्री मधु सिमये : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह जो समस्या है, उस के बारे में सबसे पहले मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब हम ने अपना संविधान तैयार किया, तो हम ने उस में विदेशों से कई अच्छी बातें लीं, लेकिन बाकी बातों की नकल करते समय हम ने अपने देश की विशेष परिस्थिति का ठीक तरह से विचार नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान के कुछ अनुच्छेदों की ओर दिलाना चाहता हूँ। अनुच्छेद 15 में समानता की बात की गई है और कहा गया है कि जाति आदि के आधार पर किसी के साथ भी विषय व्यवहार नहीं किया जायेगा। इस के साथ ही अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, हर एक को समान अवसर मिलेगा। ये दो अनुच्छेद ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन पर धमल करते हैं, तो पता चलता है कि समान अवसर का जो सिद्धान्त विदेशों में,

[श्री मधु लिमये]

खासक के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद, चला, वह सिद्धान्त उन्हीं देशों में चल सकता है, जहां सामाजिक समानता विद्यमान है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे देश में, जिस में पूरा समाज विषमता और गैर-बराबरी के आधार पर खड़ा है, जब हम समान भ्रवसर की बात करते हैं, तो यह उस का यह लाजिमी नतीजा निकलता है कि जो प्रागे बढ़े हुए, तरक्की दिए हुए, पैसे वाले या उच्च जाति वाले लोग हैं, समान भ्रवसर के कारण उन्हीं लोगों के हाथ में सारी ताकत आ जाती है।

इसलिए कि हिन्दुस्तान की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए हम किसी ऐसे सिद्धान्त को स्वीकार करते, जो हमें समानता के मकसद की ओर ले जाता। जो दरमियानी भरसा है, उस भरसे के लिए समान भ्रवसर की जगह पर हम विशेष भ्रवसर का सिद्धान्त लागू करते। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, जिन में इस बात के बारे में कुछ सचेतता बरती गई है। जैसे हमारे राज्य को कुछ निदेश दिए गए हैं। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य का यह फर्ज होगा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन की तरक्की के लिए वह कोई विशेष इलाज या विशेष इन्तजाम करे। इसी तरह हमारे संविधान के भाग XVI में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या क्या करना चाहिये। लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि हमारे संविधान में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता कि जब तक देश में सामाजिक बराबरी कायम न हो तब तक पिछड़े वर्ग को प्रागे बढ़ाने के लिए उसको विशेष भ्रवसर दिये जायेंगे। हो सकता है कि देश में सामाजिक बराबरी कायम करने के लिए हमें तीस चालीस पचास साल तक मेहनत करनी पड़े। जिस ढंग से हम पिछड़े वर्ग की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं उस से हम को लगता है कि इस में बहुत समय लगने वाला है। उदाहरण के लिए इस बारे में आजसे

तेरह साल पहले एक कमीशन नियुक्त किया गया। उस की सिफारिशों पर 1956 में एक प्रस्ताव आया। 1956 के बाद आज नौ साल हो गए लेकिन हम पूरी तरह इस पर बहस भी नहीं कर पाए। इस को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में काफ़ी समय लगने वाला है। इस लिए एक ठोस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए हमें प्रागे बढ़ाना चाहिए।

सब से पहले मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह सरकार खुल्लम-खुल्ला इस सिद्धान्त को स्वीकार करे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबक्का ऐसा है जो सामाजिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है और इस तबक्के को प्रागे बढ़ाने के लिए उस की तरक्की के लिए हमें विशेष भ्रवसर का सिद्धान्त मानना चाहिए। विशेष भ्रवसर के सिद्धान्त का क्या मतलब होगा? आज जो सरकारी नौकरियां हैं जब तक उन में पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधायें नहीं दी जाती और उन के लिए जगहें सुरक्षित नहीं रखी जाती तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो "भ्रूत" या आदिवासी हैं उन के बारे में कहा गया है कि सरकार ने कुछ इन्तजाम किया है कुछ निदेश दिये हैं लेकिन इन निदेशों का क्या नतीजा निकला? मेरे पास अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के बारे में सब से नई रपट है 1962-63 की है।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज तो बंकवर्द्ध क्लासिज की रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा है।

श्री मधु लिमये : यह कहने की जरूरत नहीं है कि अनुसूचित जातियां और आदिवासी पिछड़े वर्ग में आते हैं।

मैं आप का ध्यान 1962-63 को रपट के पृष्ठ 154 की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस में यह बताया गया है कि यह तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिये साढ़े बारह फीसदी और आदिवासियों के लिए पांच फीसदी नौकरियाँ सुरक्षित रखी जायेंगी जो कुल मिलाकर साढ़े सत्तरह फीसदी होती हैं। लेकिन हम क्या नतीजा देख रहे हैं। सरकार की कोशिशों के बावजूद स्थिति यह है कि पहले वर्ग के कुल 8,632 अफसर हैं जिन में से अनुसूचित जातियों के केवल 113 और आदिवासियों के केवल 13 हैं जो कुल मिलाकर बड़े फीसदी भी नहीं होते हैं। उसी तरह दूसरे वर्ग के कुल अफसर 14,339 हैं जिन में अनुसूचित जातियों के केवल 330 और आदिवासियों के केवल 21 हैं। तो इन में कुल मिलाकर ढाई फीसदी भी नहीं आते हैं। तीसरे वर्ग की ओर आप आइये। इसमें 6 लाख 20 हजार 580 हैं और उन में से अनुसूचित जातियों के 46,366 हैं यानी करीब साढ़े सात फीसदी हैं और आदिवासी तो 5,310 हैं यानी एक प्रतिशत से भी कम हैं। उसी तरह से चौथे वर्ग की ओर आप जायें। उस में साढ़े सोलह फीसदी अनुसूचित जातियों के लोग हैं। और आदिवासियों के साढ़े तीन फीसदी हैं। सब का क्या मतलब हुआ ? आप समानता की बात करते हैं। लेकिन आप देखें कि सरकारी नौकरियों में वही वर्ण व्यवस्था है। पुरानी वर्ण व्यवस्था को आप वहाँ भी कायम करते जा रहे हैं। सब से कम तन्वाह वाली और कम सुविधाओं वाली जो नौकरियाँ हैं उन में तो आप ने 17 फीसदी नौकरियाँ दे दी हैं लेकिन जो पहले वर्ग के अफसर हैं दूसरे वर्ग के हैं जिन के साथ सामाजिक मान्यता जुड़ी हुई है सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है ; उन नौकरियों में आप अनुसूचित जातियों के लिए आदिवासियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए

कोई विशेष भवसर या सुविधायें नहीं दे रहे हैं। यह मैंने अपने आंकड़ों से साबित कर दिया है।

हमारे संविधान में क्या कहा गया है ? यह कहा गया है कि विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। उसके लिये एक दफा संशोधन लाया गया था हमारे आर्इन में। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे देश में कोई कारवाई नहीं हो रही है। उसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जो शासक हैं हमारी जो केन्द्र की सरकार है, उनके दिमागों में यह रोग घुसा हुआ है यह गलत बात घुसी हुई है कि नौकरियों में हमेशा लियाकत और योग्यता के आधार पर आदमी को मौका देना चाहिये। यह योग्यता और लियाकत की क्या कसौटी है ? जब भूत-पूर्व प्रधान मंत्री थे तो यह माना जाता था कि सब से ज्यादा योग्यता काश्मीरी ब्राह्मणों में है। अब शायद यह माना जाता है कि सब से ज्यादा लियाकत कायस्थों में होती है वही सब से ज्यादा योग्य होते हैं। कल कोई चितपावन ब्राह्मण महाराष्ट्र का ... (इंदरराज) चूँकि सच्ची बात मैं कह रहा हूँ इसलिये आपको गुस्सा आ रहा है। कल को अगर कोई चितपावन ब्राह्मण प्रधान मंत्री हो जाये तो यह माना जायेगा कि सब से ज्यादा लायक कोई इस देश में है तो चितपावन ब्राह्मण हैं। इस लिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो योग्यता और लियाकत का सवाल है इसके बारे में जब तक आप के दिमाग में यह रोग रहेगा, हिन्दू-स्तान का पिछड़ा वर्ग कभी तरक्की नहीं कर पायेगा। इस लिये क्या लियाकत और क्या योग्यता, इन कसौटियों पर न जाते हुये आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है उस वर्ग को विशेष भवसर दिये जायें। ये आपको बालीस साल पचास साल करना पड़ेगा और अगर आवश्यक हो तो

[श्री मधु सिन्घे]

सो साल भी करना पड़ेगा। जब तक हमारे देश में सचमुच सामाजिक बराबरी और समानता कायम नहीं होती है, यह काम आपको कहना पड़ेगा।

एक ओर मूरे की ओर अब मैं आता हूँ। यप जो पिछड़ा वर्ग है इस वर्ग की क्या परिभाषा है, क्या व्याख्या है इसके बारे में जो पिछड़ा वर्ग कमिशन थी उसने कोई ठोक सुझाव नहीं दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा इनकी सिफारिशों के बारे में जो कहा गया है उसको मैं बता देता हूँ भूतपूर्व श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी शायद उस वक्त गृह मंत्री थे। 1956 का उनका यह सुझाव है। उस में उन्होंने यह कहा है कि अनुसूचित जातियों और प्रादि बासियों के लिये तो एक नाप दंड बन चुका है लेकिन बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में कैसे फर्क करना चाहिये उसका नापदंड नहीं निकला है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव कमिशन के द्वारा नहीं दिया गया है लेकिन मैं खुद अपना सुझाव देना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी कसौटी मैं तो सामाजिक ही लगाऊंगा। सामाजिक का मतलब यह है कि हमारे देश में जो वर्ग व्यवस्था रही है उसका उसर ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर भी पड़ा है इस वर्ग व्यवस्था में सामाजिक दृष्टि से जिनका स्थान नीचा था यानी जिन को उच्च जाति के नहीं माना जाता था, जिन को जनेऊ वर्ग रह पहचाने का अधिकार नहीं था और प्राज भी नहीं है, ऐसे तमाम जो लोग हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्राप समाप्त करें।

श्री मधु-सिन्घे : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं बिनती करता हूँ कि मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिये। इसके

लिये समय बढ़ाया गया है। मैं श्री इसी सिन्घे सम्बन्ध बढ़ाने की बात कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक मيم्बर को पन्द्रह मिनट मिल रहे हैं। प्राप दो तीन मिनट में खत्म कर लें।

श्री मधु-सिन्घे : मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। मेरा अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। वह सदन के सामने आना चाहिये।

पिछड़े वर्ग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सामाजिक कसौटी होनी चाहिये। जिनको हिन्दू समाज में हमेशा सूझ माना गया है, ऐसे तमाम लोगों को मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। जब प्राप पिछड़े वर्ग की व्याख्या करें तो इनको उस में शुमार करें।

फिर प्राप औरतों को लीजिए। कहा जाता है कि वेदों में औरतों का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन प्राज हम व्यवहार में देख रहे हैं कि औरतों को दबाया जा रहा है। उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बड़े कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के देहातों में प्राग प्राप जायेंगे तो प्रापको पता चलेगा कि तीन तीन और चार चार मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है। बिहार तथा दूसरे सूबों में प्राज भी औरतों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। इस लिए औरतों को भी मैं पिछड़े वर्ग में ही शुमार करना चाहता हूँ। जब हम विशेष प्रावसरों की बात करते हैं तो हमें औरतों को भी विशेष प्रावसर और मौके देने चाहिये।

अब मैं मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों प्राय के बारे में जिनको प्रत्यसंख्यक लोग कहा जाता है, कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि सभी प्रत्यसंख्यक लोग पिछड़े वर्ग में आ जायें। केन्द्रीय सरकार ने प्राज तक जितनी सुविधाएँ इनको दी हैं वे खानदानी लोगों को ही दी है, बड़े लोगों को, पैसे वालों को, बड़े कुटुम्ब के लोगों को ही दी है, ऐसे

लोगों के साथ ही पक्षपात किया है। लेकिन जो जुलाहा हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, ऐसे मुसलमानों को कभी मौका इस देश में नहीं मिला है। जब विशेष असर धीरे धीरे की बात की जाती है तो मुसलमानों में भी शोष, सैम्बध धार्मिक को इसको छोड़कर गरीबों को, पिछड़े वर्गों को मौका मिलना चाहिये।

इसबाबों के बारे में भी मैं यही कहूंगा। कसौटी अल्पसंख्यक धर्म या जाति के हैं, यह नहीं होनी चाहिये। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं या अगले हैं, इसी खयाल से हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिये।

सब से बड़ी बात लोगों का जो वैचारिक दृष्टिकोण, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैं तीन मिसालें दूंगा। एक पूना का किस्सा है। एक उच्च जाति की लड़की ने छोटी जाति के लड़के के साथ शादी की। उच्च जाति की लड़की थी उसके भाई ने यह... (इंटरव्यू) आपको यह बात चुभ रही है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आप मेरी बात को ठीक तरह से सुन लीजिए। उच्च जाति की लड़की थी उसके भाई ने चूँकि उसकी बहन ने एक पिछड़ी जाति के आदमी के साथ शादी की थी, उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद प्रदालत में मुकदमा चला। उसको सजा हुई। लेकिन न्यायाधीश ने क्या कहा, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी सामाजिक दृष्टिकोण का असर पड़ता है। ऐसा आप न समझ लें कि प्रदालत के न्याय ीठ पर बैठने के बाद आदमी बिल्कुल इंसान और न्याय की बात ही करता है। सामाजिक दृष्टिकोण और परिस्थितियों का उसके ऊपर भी असर पड़ता है। उस जब ने अपने फैसले में यह कहा कि बुरा काम तो उसने किया है लेकिन चूँकि उसको मुसलमानों का धर्म धुस्से में आना स्वाभाविक था कि उसने ऐसा पति कर लिया है और मुस्से में आ कर उस ने कत्ल

किया, इस वास्ते उस को सजा कम मिले। इस कारण से जज साहब ने सजा कम कर दी। मैं समझता हूँ कि जिस देश में सामाजिक बराबरी की हम बात करते हैं समानता की बात करते हैं उस देश में इस तरह की दलीलें किसी भी न्यायाधीश को नहीं देनी चाहियें।

दूसरी मिसाल धीरेबाबाद जिले की है जो महाराष्ट्र में है। किसी अनुसूचित जाति के आदमी के द्वारा कोई ज्यादती हुई। उसके बारे में मुकदमा चला। सजा हुई। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन उसका गुस्ता निकालने के लिए उस देहात की अनुसूचित जाति की जितनी धीरों थी उनकी मंगा करके उनके साथ ऐसा प्रत्याचार हुआ कि जिसको ध्यान करते हुए शर्म आती है। अपने देश में हम प्रजातन्त्र की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक्यात होते हैं, ऐसी घटनायें घटती हैं तो इन पर हमें शर्म आनी चाहिए। आज जो सामाजिक वातावरण है उसका मैं जिक्र करता हूँ। अगर किसी बड़ी जाति की लड़की के साथ धीरों के साथ ऐसा व्यवहार होता तो कितना हो हल्ला होता, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। धीरों छपतीं, नोक सभी में यह बातें आतीं, लेकिन चूँकि अनुसूचित जातियों की धीरों हैं इसलिये उन के बारे में, उन की जो दर्दनाक कहानी है, उस के बारे में कोई सुनवाई नहीं होती।

16 hrs.

एक तीसरी छोटी सी मिसाल धीरे देना चाहता हूँ। परसों मैं ने चिन्त किया कि इसी सदन के बिहार के एक भूतपूर्व सदस्य थे कि रई मुसहर, जिनका 18 अगस्त को इतकाल हुआ। अगर किसी बड़ी जाति का आदमी मर जाता तो मुझे इस में शक नहीं है कि कलक्टर की धीरे से आप को बराबर सूचना मिलती, प्रचारारों में यह बातें छपतीं, लेकिन चूँकि किरई मुसहर, एक पिछड़ी हुई जाति का अनुसूचित जाति का आदमी था इस लिये उस की धीरे न प्रचारारों में छपती है धीरे न इस

[श्री मधु लिमिये]

सदन के सामने कोई भेजता है। यह जो मैंने दी उस के बाद भी उनको श्रद्धांजलि देने का काम नहीं हुआ है, मेरी सूचना देने के बाद भी।

यह तीन मिसालें मैंने इसलिये दी हैं कि बावजूद इसके कि हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, प्रजातन्त्र की बात करता है, अब भी हमारा दृष्टिकोण जो है वह डेढ़ दो हजार साल पहले का है जिसकी वजह से यह देश बरबाद होता रहा है और विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ है। वही स्थिति आज तक चल रही है। परसों श्री मौर्य ने कहा था कि सेना में जो हरिजन लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन को विशेष अवसर मिलना चाहिये। इस पर बड़ा हल्ला हुआ। लेकिन उनकी बात ठीक थी। जब तक पिछड़े वर्गों के लोगों को आप यह आश्वासन नहीं देते हैं कि यह देश, यह राष्ट्र, यह व्यवस्था उन लोगों के लिये है और उनको उस में हिस्सा नहीं देते हैं तब तक विदेशी आक्रमण का मुकाबला डट कर और मुस्तीदी के साथ देश नहीं कर पायेगा। डेढ़ दो हजार सालों का इतिहास यह बतलाता है कि जब तक सामाजिक बराबरी कायम नहीं होती है हम अपनी स्वतन्त्रता की हिफाजत नहीं कर सकेंगे।

श्री बसन्त (धाना): उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल इसी सदन में डा० पंजाब राव देशमुख ने पिछड़े वर्गों को सुविधायें दिलाने के लिये जो सुझाव दिये थे उनके लिये मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने बैंकवर्ड क्लासिज कमीशन के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये थे। इस देश में पिछड़ी हुई जमात के जो लोग हैं उन में से बहुतों को परिवर्तित जमात में शामिल किया गया है। लेकिन बहुत से लोग उन में से ऐसे हैं जो कि

बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। यह बात हमारे संविधान ने भी मान ली है और इसीलिये बैंकवर्ड क्लासिज कमीशन की नियुक्ति हुई।

बैंकवर्ड क्लासिज कमीशन रिपोर्ट के वाल्यूम 1 के पृष्ठ सं० 159 पर लिखा है कि जाति जमात के जरिये से देश की उन्नति करने का ध्येयवाद सामने रख कर इस कमीशन ने पूरी खोजबीन की। इतना ही नहीं, बैंकवर्ड क्लासिज कमीशन ने आगे जाकर पृष्ठ 167 पर सुझाव दिया है कि इस कमीशन की एन्वयायरी पूरी होने के बाद एक ऐसा बोर्ड स्थापित किया जाए जो उनकी और ध्यान दे। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिये अगर सरकार सुधार लाना चाहती हो और उस ध्येय धोरण के ऊपर अच्छी तरह से अमल करना चाहती हो तो इस पिछड़ी हुई जमात के लिये एक बोर्ड बनाया जाये। हालांकि संविधान के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति हुई लेकिन यह खेद की बात है कि नौ सालों के बाद यह विषय सदन के सामने वाद-विवाद के लिये आया है। इस से यह प्रतीत होता है कि शासन की भावना देश में रहने वाले इन 25 करोड़ लोगों की पिछड़ी हुई जमात के प्रति अच्छी नहीं है। हमारे संविधान ने इस देश में हर एक को जो समानता का अधिकार दिया हुआ है उस पर हमारी सरकार नहीं चलाती है। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया फिर भी वह सिद्धान्त पर चलने की बात कहती है। इस तरह से वह देश में असंगत बर्ताव चलाती है यह सिद्ध हो जाता है।

कमीशन की रिपोर्ट हालांकि 23-9-56 को सदन के सामने आई थी लेकिन अब तक उस पर यहां पर बहस नहीं हुई। वह गोदाम में चली गई। इस देश में परिवर्तित समाज है। इसके अलावा पिछड़ा समाज है, गिरिजन हैं, हरिजन हैं। हरिजनों, गिरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों को कानून में सुविधा मिलती है और अगर नहीं मिलती

है तो उस पर बहस जरूर होती है। मगर जो परिवर्तित समाज है उस के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके लिये कालेलकर समिति नियुक्त हुई थी और जिसने सारे देश का दौरा कर के सुझाव रखे हैं कि इस देश में जो परिवर्तित समाज है, एडवान्सड क्लास है उस में पिछड़े और अति पिछड़े हुए जमात के लोग हैं उनके लिये सुविधा देना जरूरी होगा, उन के लिये कुछ नहीं किया जाता है।

मैं मिश्राल के लिये एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन के मां बाप के पास अच्छी विद्या है, उन के लड़कों को सारी सुविधायें मिल जाती हैं। मगर जो बेचारे पिछड़े हुए हैं, जिनके मां बाप एक अक्षर भी नहीं जानते, सिर्फ नाम के लिये परिवर्तित या एडवान्सड क्लास में हैं, उनका बच्चा जब प्राइमरी स्कूल का सर्टिफिकेट पा लेता है तब मां बाप को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है। लेकिन जब उस को 40, 45 या 50 फी सदी नम्बर मिलते हैं तब वह किसी जगह पटवारी भी नहीं बन पाता है, क्योंकि जो परिवर्तित समाज है उनके लड़के बहुत पढ़े हुए रहते हैं, उन को 60, 70 या 75 फी सदी नम्बर मिल जाते हैं। उन के मुकाबले में जो पिछड़े हुए लोग परिवर्तित जातियों में आ गये हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती। अपरिवर्तित समाज के लिये यह बड़ा नफरत और खराबी का काम हो रहा है। यह जरूरी है कि हम इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें नहीं तो जो एडवान्सड क्लास है वह एडवान्सड होता चला जायेगा और जिन पिछड़े हुए लोगों को एडवान्सड क्लास में रख दिया गया है वह पिछड़ते चले जायेंगे।

संविधान ने यह माना है कि जो परिवर्तित समाज है उस में सब को एक साथ लायें। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि परिवर्तित समाज के एक भाग को पीछे रख कर सब को समान बनाया जा सकता है। जो एडवान्सड क्लास है उसकी जिम्मेदारी

है कि जो परिवर्तित समाज है उस में जिन पिछड़े हुए लोगों को शामिल किया गया है उन को सामने लायें और अग्रछा बनायें। इसलिये सदन के सामने मेरा सुझाव है कि जो 25 करोड़ आदमियों का अपरिवर्तित समाज है जिसको परिवर्तित समाज में सम्मिलित किया गया है उन को बैंकवर्ड क्लासेज कमिशन की सिफारिशों के मुताबिक बैंकवर्ड क्लासेज में रखा जाये। जिस तरह से हरिजनों और गिरिजनों के लिये नौकरियों आदि की सुविधायें दी गई हैं उसी प्रकार से जब तक उन लोगों को सुविधायें नहीं मिलेंगी तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकता है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि कालेलकर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एक बैंकवर्ड क्लासेज कमिशन नियुक्त किया जाये और कालेलकर समिति ने जो बैंकवर्ड और मोस्ट बैंकवर्ड के नाम से दो भाग परिवर्तित समाज के किये हैं उनको बैंकवर्ड में रखने की कोशिश की जाय।

श्री बालमीनी : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि आज दस सालों के बाद पिछड़ी जाति आयोग की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं। पिछड़ी जातियों का प्रश्न देश की स्वतन्त्रता और देश के विकास के साथ जोड़ कर भी चलें तो अब तक पिछड़ेपन का सवाल एक बड़ा गम्भीर सवाल इस सदन के अन्दर ही नहीं, सारे देश के अन्दर है।

आज ऐसे अवसर पर जब देश संकट-कालीन स्थिति में है, चीन की लिप्सापूर्ण कुदृष्टि हमारे ऊपर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज हमारा शत्रु नं० 1 है। जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तब देश में एक ऐसी एकता बनी है, एकता का वातावरण बना है जिसमें हमें बड़ा आनन्द प्रतीत होता है और हम सभी आनन्द से विभोर हो जाते हैं। फिर भी हमें यह अहसास है कि देश के अन्दर जो पिछड़ापन है, जाति के आधार पर, उन्नति के आधार पर, विकास के आधार पर, मनुष्यों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, उस से आज

[श्री बाल्मीकी]

हमारे दिल और दिमाग के अन्दर एक लुचन पैदा होती है ।

मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी सत्य बात को कहने में कोई कंठता किसी को भले ही अनुभव हो, उस बात की परवाह किए बगैर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज भी देश के अन्दर पिछड़े लोगों की समस्या एक गम्भीर समस्या है ।

देश की तीत पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी लोगों की मनोवृत्ति में, उनकी विचारधारा में और विशेषकर उन वर्गों की जो बहुत अग्रिम हैं, किसी प्रकार का अन्तर आया हो, ऐसा मैं महसूस नहीं करता । मुझे ऐसे अवसर पर डा० पंजाब राव देशमुख को याद आती है । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वह इस सदन की चहार दीवारी में मामूली लोगों के सवाल को, गरीब गुरबा के सवाल को और पिछड़े लोगों के सवाल को ले कर चलते रहे, और आज उनके चले जाने के बाद भी देश को उनकी उस प्रवृत्ति की, उनकी उस भाषा की और उनके उस इशारे की आवश्यकता है । मैं बहुत आत्म विभोर हो कर उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ । यह केवल उनकी कोशिश का ही परिणाम था कि बैंकडॉक्ट क्लासेज कमीशन कायम हुआ सन् 1953 में । उस वक्त हमें बड़ी आशाएं थी और गरीब गुरबा लोग, अनुसूचित जाति के लोग, विमोचित जाति के लोग, सभी पिछड़े लोग, किसी भी जाति या वर्ण के हों, वे इस बात के लिए दौड़े कि आज बैंकडॉक्ट क्लासेज कमीशन कायम हुआ है, उससे उनका पिछड़ापन दूर होगा, उनकी अवधि दूर होगी और जो उनको समान अवसर प्राप्त नहीं है, वे उनको प्राप्त होंगे । समय के साथ साथ यह आशाएँ निराशा में बदलती चली गई ।

संविधान के अन्दर सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, सामाजिक सुरक्षा की बात कही गयी है । लेकिन आज भी देश के अन्दर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा लोगों को प्राप्त नहीं होती है, और आज भी बहुत से लोगों को सताया जाता है, उनका इदय विदीर्ण होता है, और मेरे अस्तित्व के अन्दर भी एक बेदना होती है ।

मेरे एक साथी अभी कुछ बातों की ओर इशारा कर रहे थे । आज यह सवाल नहीं है कि मैं किसी धर्म विशेष पर, किसी वर्ग विशेष पर, किसी जाति विशेष पर कटाक्ष करूँ, उन पर चोट करूँ, उससे कुछ लाभ नहीं होता है । लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि आज भी देश के अन्दर मुट्ठीभर ऊंची जातियाँ प्रभुत्व जमाए बैठी हैं प्रभुसत्ता के नाम पर, नौकरी के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर । वे आज भी बलशाली ढंग से हमारे दिल दिमाग पर जोर देती हैं, हमें दबोचती हैं, और आज भी घोर अन्याय होता है । मैं आज अवसर पा कर उसका विरोध करता हूँ जितनी भी शक्ति मेरे दिलो दिमाग में है उस सब से ।

बात ऐसी नहीं है कि यह समस्या किसी उच्च जाति की लड़की के किसी हरिजन जाति के लड़के से शादी करने से हल हो जाएगी । वह भी एक अलग आन्दोलन है । वह अलग बात है । लेकिन आज भी जाति के नाम पर नीची जातियों के व्यक्तियों को मार डाला जाता है, कत्ल किया जाता है, आगजनी की बटनाएँ होती हैं और दूसरे अत्याचार और जबरदस्त बलात्कार और व्यभिचार की बटनाएँ होती हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । आज भी जाति के आधार पर लोगों के कत्ल होते हैं । मैंने गरीब गुरबा लोगों की

लाशों को फड़कता हुआ देखा है और जिले के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लम्बी चाकर तान कर सोते हैं। केवल मिनिस्टर को खुश किया जाता है, गरीब गुरबा को खुश करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है।

मेरे जिले के चिटहरा गांव में ऊंची जर्मति के कुछ व्यक्तियों ने एक बाल्मीकी नोजबान को मार डाला है। मालो क्या होता है, वह देखा जाएगा। वह अलग बात है। यही नहीं एक और घटना मेरे दिमाग के अन्दर है। हाल ही में 18 साल का एक हमारा बाल्मीकी नोजबान उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद के अन्दर पुलिस द्वारा बेरहमी से मारा जाता है और मार कर जबरदस्ती उसकी घर में डाला जाता है और बाद में कहते हैं कि आत्महत्या का केस है। जिला मैनपुरी के कलक्टर, जिला मैनपुरी के कप्तान पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बोधी हुई है। वहां जिस तरह से लोगों का कत्ल होता है उसकी मैं खुल कर निन्दा करता हूँ। इस घटना से सम्बन्धित व्यक्ति यह रमुधा बाल्मीकी का लड़का मसीहा है जिस को पुलिस दरोगा ने मार डाला, उसकी बुली जांच होनी चाहिये, उसकी प्रदालती जांच होनी चाहिए। मैं इसबात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, यह बात बिल्कुल साफ है कि आज भी जो लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदली है। आज भी जो लोगों की मनोवृत्ति और विचारधारा है उस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

हमारे इस कामीशन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है, मैं उन्हीं के शब्दों में यह बात रखना चाहता हूँ।

"We noticed that the advent of freedom had not yet sufficiently brought about the necessary change in the psychology of the people and very little had been done to create a sense of urgency in their mind for

purposeful action in rebuilding India. To the backward classes at any rate, the ideals propounded in the Constitution and the goal set by the Planning Commission remained largely a distant picture. The Commission had the painful experience of finding among the masses a feeling of restlessness, discontent, apathy, a sense of resignation or resentment at their own low social position. It also discovered, apart from the policy of the Governments—Central and State—that the administrative machinery through which their policies are implemented has not been sufficiently reformed and geared up to zestful action. It was working in the same old manner of British days except for a few enthusiastic officers here and there. It still retained an air of official superiority and consisted mainly of persons who look with disfavour and disdain upon manual labour. In fact, the grievance was that the administrative services lack sympathy and understanding of the feelings and aspirations of the backward classes."

बड़ा स्वप्न दिखाई देता है कि कुछ उन्नति हो गयी है, काफी आर्थिक उन्नति हो गयी है, लेकिन आप ध्यान दे कर देखें कि किस प्रकार की आर्थिक उन्नति हो गयी है? और किनकी हो गई है? आज भी पिछड़े लोगों की दशा ग्रामों में अर्ध दासता की है, और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी, विकास के बढ़ते हुए पद चिन्हों के बाद भी, आज भी गांव के कुम्हार को, तैली को, चाहे वे गांव के गरीब मुसलमान हों या गरीब इसाई हों या गरीब हरिजन हों या हमारे बाल्मीकी बंधु हो, जो सफाई का काम करते हैं, उन को इन विकास की योजनाओं का लाभ नहीं हुआ है। आप उनकी शक्तें देखें, उनके उतरे हुए चेहरे देखें, उनके फटे हुए चीपड़े देखें, उनके दुर्बल शरीर देखें, इस बढ़ते हुए विकास का और बढ़ती हुई उन्नति का उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है, उन पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता है।

[श्री बाल्मीकी]

आज जब आप बराबर इस तरफ ध्यान देते हैं, और अलग-अलग अनुसूचित जातियों के आधार पर, जनजातियों के आधार पर उनके प्रश्न पर विचार करते हैं, और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी अनेकों समस्याओं की ओर आप का ध्यान नहीं गया है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज कुम्हार के लिये जो कि गांव में रहता है, अपना जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। जहां से वह पहले मिट्टी खोदता था वहां से अब वह मिट्टी नहीं खोद सकता। गांव का नाई जो काम करता था आज वह हजामत का काम छोड़ता है क्योंकि उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती, उसके जीवन साधन का कोई आधार नहीं है। और जो जातियां सेवा के काम में लगी हुई हैं उनको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है?

कहा जाता है कि देश के अंदर हम विकेंद्रीकरण को ले कर चल रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ऐसे अवसर पर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि अभी तो आर्थिक विषमतायें, सामाजिक विषमताएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। सत्ता के पदों पर हैं विषमता व असमता के नाके। और बड़े बड़े मगरमच्छ एकाधिकार के, आज भी जीवित हैं। मुश्किल तो यह है कि वह खास हाथों से ही आटे की गोलियां खाकर जीवित रहते हैं और किसी प्रकार से नहीं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उनका श्लाघ अभी तक नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री बाल्मीकी : आपने सभी को काफी काफी फिर समय दिया है फिर मैं तो सबसे मोस्ट क्वर्ड जाति का हूँ और उन दलित भाइयों का दुख दर्द यहां रखना चाहता हूँ इस लिये मुझे तो कुछ अधिक समय मिलना ही चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : बस दो मिनट और ले लीजिये।

श्री बाल्मीकी : मैं ने पहले भी कहा था और आज पुनः दोहराता हूँ कि सत्ता बिखरे, वह उपर से नीचे आये लेकिन बेद का विषय यह है कि वह सत्ता आज भी बलशाली जातियों के हाथ में, अजार जातियों के हाथ में सिमट कर रह जाती है। वह जो बेचारे साधारण पिछड़े व दलित लोग रहते हैं जिनके कि बारे में इस रिपोर्ट में काफी जिक्र किया गया है उनको ऊपर उठने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

मैं उस समय कमीशन के दौरे के साथ साथ 9 राज्यों के अंदर गया था और कमीशन के सामने जाकर मैं ने बराबर एक ढंग से यह कहा था कि हमारे जो साफाई पेशा भाई हैं उनकी समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे चेयरमैन साहब काफ़ा कालेलकर जिन्होंने कि वास्तव में पिछड़े वर्गों के लिये और हरिजन जातियों के उत्थान के लिये काम किया है उन्होंने कहा कि यह हमारे कार्य-क्षेत्र में नहीं है। मैंने उस पर कहा था कि न हो लेकिन फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि उनके बारे में एक बलशाली ढंग से बहुत उदारता के साथ एक पैरा दिया गया है और उस पैरे के अंदर बराबर उनकी ओर ध्यान आकषित करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन उनकी समस्या अभी भी वैसे ही चल रही है और वह हल नहीं हो

पायी है। उनके रहने सहने, उन के स्वास्थ्य व काम करने की हालत कमीशन के शब्दों में 'सबहियुमन' है। उनका इलाज जल्द किया जाना चाहिये। जब आप इधर ध्यान देते हैं और इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यान देते हैं तो आप को बराबर यह ध्यान देना होगा कि उनके लिये जितना भी जतन हो सके वह करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिये। हमारे दलित व पिछड़े वर्ग के लोग आज भी गांवों के अंदर या कहीं भी दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका आर्थिक उत्थान हो सके, सामाजिक उत्थान हो सके और शैक्षणिक उत्थान भी उनका हो सके—नौकरियां आदि में जहां भी संभव हो सके उनको संरक्षण व प्रोत्साहन आदि दिया जाये।

जहां तक रिजरवेशन का ताल्लुक है कमीशन के चेयरमैन साहब ने बराबर ऐसा कहा है कि इस तरीके से जातियों के आधार पर रिजरवेशन के वे कायल नहीं हैं। लेकिन हम हरिजन जाति वालों की एक अलग समस्या है। उनका रिजरवेशन पूरा नहीं होता है। हरिजन जातियों के लिये जो रिजरवेशन है वह न तो पूरा होता है फर्स्ट क्लास में, न सैकेंड क्लास में और न ही थर्ड क्लास में, केवल क्लास चार में रिजरवेशन पूरा दिखला देते हैं और उसमें भी मजे की बात यह है कि हमारे जो सफाई पेशा भाई हैं उनकी जरब, तकसीम लगा कर पूरा करके दिखलाते हैं।

जहां तक नारी जाति का संबंध है उनको भी कमीशन ने पिछड़े वर्गों के साथ कर दिया है। आम तौर पर उन में पिछड़ापन विद्यमान है। भले ही कुछ मुट्ठी भर फौरवर्ड हो गयी हैं लेकिन वह भी मदों के अत्याचारों से तंग आकर लुकाछिप कर इधर ही आती हैं।

मैं इस अवसर पर संविधान की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान ने साफ कहा है कि किसी प्रकार का लिंग भेद, वर्ण-भेद या जाति भेद नहीं होना चाहिये। हमारा लक्ष्य देश में एक ऐसा प्रगतिशील व विकासशील समाज बनाने का है जहां किसी किस्म का जाति-भेद, लिंग भेद या वर्ण भेद को कोई स्थान प्राप्त न हो। जब इस विषय में हम सोचते हैं तो अनायास नारी हमारी आंखों के सामने आ जाती है जो कि आज भी पीड़ित है और शोषित है। पूज्य गांधी जी एक ऐसे स्वराज्य और आजाद भारत का स्वप्न देखते थे जिसमें नारी जाति को गौरव का स्थान प्राप्त हो सके।

गांधी जी ने तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति के आसन पर एक नारी और वह भी विशेषकर एक भंगी की पुत्री विराजमान हो। गांधी जी ऐसे वातावरण का यहां देश में निर्माण होते देखना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि हरिजनों में जो सबसे बैकवर्ड जातियां हैं वे ऊपर उठें उनकी आर्थिक, सामाजिक अवस्था उन्नत हो, और बापू जी का स्वप्न साकार हो सके। मैं समझता हूं कि आज जैसी अवस्था देश में चलती है उसको देखते हुए अभी सैकड़ों सालों तक वह स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है।

आज भी ऐसे हरिजन बंधु हैं जो आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व शैक्षणिक हर एक दृष्टि से बहुत नीचे पड़े हुए हैं। डा० लोहिया ने, मैं समझता हूं, ठीक ही गरीब मजदूरों की दैनिक आमदनी बहुत ही कम होने और उसे ऊपर उठाने की बात सदन में कही है। आज उनको मजदूरी बहुत ही अपर्याप्त मिलती है जिसमें कि वे अपना पेट तक नहीं भर सकते हैं। डा० लोहिया, मैं मानता हूं, कि गरीब लोगों के लिये अपने दिल में दर्द रखते हैं। तभी उन्होंने उनकी आवाज यहां सदन में उठाई।

[श्री बाल्मीकी]

उनकी बात में काफ़ी जान है और वजन है । मैं चाहता हूँ कि सरकार उधर ग्रविलम्ब ध्यान बेकर उनको ऊपर उठाये । सरकार को उधर ध्यान देकर उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए और साथ ही उनकी अन्य समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, भूमि, शिक्षा आदि की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

आखिर में, मैं और अधिक न कहते हुए इस रिपोर्ट का जोरदार समर्थन करता हूँ और श्री यशपाल सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि वे एक ऐसा ज़रूरी प्रस्ताव इस सदन के सामने लाये । मुझे आशा है कि सरकार कमीशन की सिफारिशों पर गम्भीरता-पूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन पर तत्काल अमल करेगी और आज यह देश में जो गरीबी, पिछड़ापन विद्यमान है वह जल्द से जल्द इस चौथी योजना की अवधि में दूर हो जायगा । धन्यवाद ।

श्री भाते (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी भाईयों की ओर से इस बैंकवर्क क्लासिफ़िकेशन की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय का ध्यान मध्य प्रदेश के हरिजन और आदिवासियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ । मुझे आशा है कि वे अवश्य ही उधर ध्यान देंगे ।

मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है तथा यहां पर साधारण जनता खुशहाल नहीं है । खुशहाल वही जनता है जिसके पास ज़मीन और आयदाव है, अन्य जनता दुखी ही है । खास-तौर पर हरिजन और आदिवासी तो बिल्कुल ही दुखी और चिंतित हैं । हरिजन और आदिवासियों के पास न तो ज़मीनें हैं और न बैल हैं और न ही अन्य साधन हैं जबकि इसके विपरीत बड़े बड़े आदिमियों के पास साधन हैं, बैल हैं और ज़मीनें भी बड़ी बड़ी पड़ी हैं । हरिजन और आदिवासियों को जो ज़मीनें मिली हैं वह उनको पहाड़ों में दी गई हैं । अब आप ही समझ सकते हैं कि वे बेचारे गरीब लोग उन

पहाड़ों में कैसे कुछ बो सकते हैं व अन्न पैदा कर सकते हैं ? आजकल पानी न बरसने के कारण टीकमगढ़ और छतरपुर बिजावर आदि क्षेत्रों में बड़ी दर्दनाक अवस्था है । गरीब हरिजन आदिवासी भूखें मरने लगे हैं । उनको खाने को अन्न नहीं मिलता है । वे लोग पेड़ के पत्तों को और घास को खाकर गुज़र कर रहे हैं ।

बेद का विषय है कि सरकार की योजनाएं जो आजकल चल रही हैं उनसे साधारण जनता को कोई फायदा नहीं है । फायदा केवल उन्हीं लोगों को है जो या तो पैसे वाले हैं या जिनकी पहुंच काफी ऊंची है या जिनके दादा, चाचा आदि बड़े बड़े ऊंचे पदों पर सरकार के कार्यालयों में काम करते हैं । वह सब लोग आपस में मिल जुल कर खुद ही फायदा उठा लेते हैं । अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और आवश्यक सुधार करे तो साधारण जनता को भी इन योजनाओं से लाभ हो सकता है । गांवों में पटवारी और तहसीलदार उन्हीं लोगों के ज़मीन के पट्टे करते हैं जिनके पास पैसे हैं या जिनकी पहुंच है । गरीब हरिजन और आदिवासियों को ज़मीन पहले तो मिलती ही नहीं है और यदि कहीं किसी ने कोशिश करके ले भी ली तो उसको बड़े आदमी अपने नाम करवा लेते हैं और दस, पांच साल के बाद बेवखल करवा देते हैं क्योंकि बेचारे हरिजनों और आदिवासियों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता है ।

मैं आपका ध्यान हरिजन और आदिवासियों के कुछ पढ़े लिखे बच्चों की तरफ़ ले जाना चाहता हूँ । ये लोग बड़े मेहनत और परिश्रम के बाद अपने बच्चों को 10 या 12 दर्जे तक पढ़ा पाते हैं और पढ़ने के बाद बेचारे गरीब होने की वजह से नौकरी आदि नहीं पा पाते हैं क्योंकि नौकरी आदि उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सगे सम्बन्धी आफिसों में हैं । इस प्रकार की बाध सरकार की नीति के

विरुद्ध है परन्तु सरकार फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है ।

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से यही निवेदन करता हूँ कि जो जमीन हरिजन और आदिवासियों को दी जा रही है वे पहाड़ों में न दी जाकर समतल में दानों में दी जायें जिस से गरीब जनता का भरण पोषण हो सके । यह नहीं कि हरिजन और आदिवासियों को जमीनों पहाड़ों पर दे दी जायें जहाँ पर कि पानी की कमी के कारण कुछ भी पैदा न हो सके । घसलता भ्रगर वहाँ छोटे छोटे बांध बना दिये जायें तो उस में कुछ पैदावार हो भी सकती है जिससे हरिजन और आदिवासी तथा अन्य लोग भी भरण पोषण कर सकते हैं । धन्यवाद ।

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Mr. Deputy-Speaker, Sir, nearly a decade after the submission of the Report it has come before the House for discussion. I may appreciate here that the Report has never become stale and the House insisted on discussing it here, in the sense that not much change has taken place during all this period of ten years; hence, there was no necessity for a second report. For a period of ten years, I hope, the same report might continue to hold good because there may not be much radical change either in the social outlook or in the economic development of the people. But that is a sorrowful thing, indeed.

The development of the Backward Classes comes under social security which has been bracketted along with law in the Ministry. Law contains as its part social legislation. Because it is now clubbed with social security and the development of Backward Classes, I hope, this combination will be able to do something better during the coming years.

As regards the new outlook, the social outlook, the Ministry has got to do much. There should be a radical change in the social outlook. That is quite necessary. Without that radical change in the social outlook,

the other minor details that have been emphasized either by the Commission or undertaken by the different departments cannot do much. Moreover, there should be co-ordination among the different departments working under the different ministries. Unless there is co-ordination, what is the result that we are going to achieve? We are not going to achieve much results if there is no co-ordination.

You may remember, Sir, once on the floor of this House I put a question to the hon. Minister of Education, namely, that the Home Ministry was running vocational classes for the Backward Classes people, the Community Development Ministry was doing some service, the Education Ministry was also doing some such service and the Defence Ministry was also undertaking some such service, what efforts were being made to bring about any co-ordination among all these as a result of which there would be some tangible results in the measures undertaken for the improvement of the Backward Classes and others? The hon. Minister was kind enough to reply that as the question was complicated, so were the measures also complicated.

What I mean is that unless there is some concrete development in the matter, unless some tangible result is seen, people would not have much confidence. Once I remember to have said on the floor of the House that people had entrusted their development and their whole future to the Government taking the Government to be their trustee and the trustee had to discharge his duties in a very efficient and able manner to maintain the confidence of the people.

We had a very good social order based on certain philosophy and principles. The *Bhagwad Gita* said:

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागज्ञः

On the division of labour the *var-nashram* system was based. But does

[Dr. Sarojini Mahishi.]

it hold good even today? Conditions in our society have changed; values in our society are fast changing. Does it hold good? The son of a Brahmin may undertake the work of a cobbler; the son of a Kshatiya may do the work of a Vaishya. This was prevailing even at that time. Under the existing circumstances, when these things are no longer holding good in society, deformed interpretation of some such thing is creating all the more complications in our society.

Ours is a secular State. Once upon a time religion had got a very strong hold on the minds of the people. Even now it has a very strong hold on the minds of the people howsoever we may say that India is a secular State encouraging or discouraging no religion. But, at the same time, ours is a caste-ridden society. We have to acknowledge that it is so. What we deprecate is the vices or the bad or negative side of the caste-ridden society, not the virtues of it. I may bring to your notice that a particular community came into existence with the objective that the members of that community should share in the happiness or sorrow of the other members of that community. That particular caste system, we see, is no longer good; but, at the same time, for serving similar purposes, based on a casteless society, are we trying to have a better substitute?

What is the substitute in an industrial society or a political organisation for these things? It is for the educated people, the enlightened people of this country, to think over the matter as to what can be a substitute for these things. We say that the existing caste system is ridden with evils—communal prejudices and all those things—and no doubt every one will have a similar opinion as far as this matter is concerned. If our democracy, wherein we believe that every intelligent citizen has to take an intelligent and active part in the management of the affairs, has to be

a success, how is this caste-ridden society going to help us? The caste-ridden society is not going to help us in this matter. Therefore, we want to have a better substitute for that and we want every citizen to take an intelligent interest in that. Every enlightened person in this country has to think of this. The Backward Classes Commission, after studying all the social conditions and economic circumstances prevailing in this country, brought out a very voluminous report—it is a very important report too. I may say that this backwardness of a society has been described in the Commission's report also as the result of the interaction of social, economic, political and religious factors over a very long period of time. We should try to root out this backwardness. It is not possible to destroy it all of a sudden or immediately, but at the same time efforts in that direction should be made constantly. We say that economic backwardness is the root of all these things, but the Commission has said that it is the result of the social and educational backwardness. In a secular State, why is it that categorisation of backward classes is made on the basis of caste system? No doubt religion and caste are two different things; one cannot be mixed up with the other. If, on account of some long-stretched association, the two things are mixed up, why is it that all these years, even after Independence, we are trying to categorise the backward classes on the basis of caste and not on the basis of educational backwardness, economic backwardness and social backwardness which are mainly the criteria for categorizing the backward classes. No doubt there is difference in the criteria undertaken: some of the States have based it on caste; some are trying to improve on it by categorising on the basis of economic backwardness. The categorisation differs from State to State and also from time to time. As a result, people who were backward last year may not be categorized as backward this

year or people who were not considered as backward last year are being considered as backward this year. What is all this due to? If a person who was considered five years back as backward is now considered as a person of the advanced community, it shows that society has done a lot of good; there is a radical change in the society. But a person who was considered as advanced five years back, is now being categorised as backward, how are you going to account for all these things? This has to be taken into consideration by the Social Security Ministry.

Taking into account the social backwardness, educational backwardness and such other things, the Commission put all women in the backward classes. No doubt many Members have spoken very highly about all these things and that is a fact. The percentage of literacy among women is hardly eight. The rural women have never come out and as one of the Opposition Member pointed out, they have to go a long way—8 to 10 miles—for bringing drinking water. The economic conditions, the superstition and the religious hold are such that it will take decades for those people to come out in spite of the constant efforts on the part of voluntary workers, social institutions and Government. Therefore, we have to consider what effective steps they are undertaking in this direction, in order to emancipate the women, the backward classes and the people suffering from social and legal disabilities in this country. Certain sections of society because they belong to certain classes suffer from legal disabilities, and similarly certain sections of the society, because they were women have been suffering for all these years from certain legal and social disabilities. How long are we going to allow this state of affairs to continue? Even in a democratic country like ours, more than 50 per cent of the people are suffering like this and they have no voice at all, and the majority of them have not got any

opportunity even for getting better education. However highly we may extol the fact that ancient India had given a very lofty place to women, we must remember that the conditions existing at that time are not existing now; the conditions have radically changed. On account of the political invasions and such other things during the medieval period, even the Smriti-writers went to the extent of saying that a woman was nothing more than chattel; and as a result of that, no economic status was given to her; and no social status was given to her. According to Katyayana, a Smriti-writer of the thirteenth century, a woman under no circumstances could possess more than 2000 annas which also could be utilised by her husband in case of emergency.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): That was a good thing.

Dr. Sarojini Mahishi: I am referring to the position in the thirteenth century.

Under the existing circumstances, better facilities have got to be given. We talk about equality of opportunity, political equality and social equality and so on. Let us try to bring some of these things into force. Unless there is a radical change in the social outlook, unless the greater sections of the society look at these people who are suffering from social and legal disabilities with a liberal outlook and try to give them also better conditions of living and opportunities for working and better opportunities for getting better remunerations, we cannot have any hope for the emancipation of these people. It is impossible for the women to come forward by themselves especially in the case of those women who have for long been thrown into the background for decades and for centuries, it is practically impossible to come forward unless opportunity is provided to them. It was only in 1956 that a daughter could get a share in the property of her father and not earlier than that. Earlier than that, only a widow had

[Dr. Sarojini Mahishi.]

some right to limited property. The Backward Classes Commission had tried to go into these things in detail and suggest remedial measures. Many measures have been suggested in this regard, such as the opening of schools, the running of hostels and giving better educational facilities and so on. These things should be done immediately.

In this connection, I should like to give just one instance of how things are being managed. When a hostel is opened for the lady students of the Harijan class or the Scheduled Castes, if the funds are not released till the 31st of March, how can you expect them to have better food during the whole of that year? Are the students and trainees and inmates of the hostel expected to eat nothing till the 31st of March? Who is to bear all the expenses during the whole year? I am mentioning only a matter of minor detail. But these are things which have got to be attended to immediately. Leave aside the questions of major principles and policy matters; at least these minor details should be attended to; if even these minor details are not worked out efficiently, it will create a very bad impression on the society in regard to the actual work that has been turned out.

Shri Hajarnavis: The hon. Member may kindly pardon me for this interruption, but I hope she will give me those details so that the matter may be looked into.

Shri Maurya: I cannot understand why these segregated hostels should be there. I think that it is better that there are no segregated hostels.

Dr. Sarojini Mahishi: In the under-developed countries today, the problem of juvenile delinquency is becoming more and more complicated every day. With the growing slums and the economic difficulties and so on, the

problem of juvenile delinquency has become so complicated that the number of juvenile delinquents is increasing all the time, and the remand homes, the fit-person-basis schools and other such centres are becoming more and more punitive instead of reformatory. The moment the inmate from such a centre comes out, he must be rehabilitated somewhere and looked after by the society as if he has come out after training. But unfortunately what is happening is that these young boys when they come out from such centres are looked down upon by society and are not absorbed in any service.

Therefore, in all these matters, we have to bring about a new social outlook and give a better opportunity to the person who has suffered from all such disabilities during his lifetime. This change of attitude is necessary. I hope the department will be able to do something in this direction.

As regards reservation in government services and also in educational institutions, I will quote from the letter Kaka Kalelkar wrote to the President (reproduced in the beginning of the Report). He wrote:

"Coming to details of governmental services, the principle of 'no reservations' but 'special preference' should be strictly followed in class I (and perhaps in class II also) of services because services belonging to these classes demand higher standards of integrity, efficiency and initiative. It is not suggested that these qualities are the monopoly of any one community or that these qualities are at a discount in the case of other communities".

Therefore, taking these things into consideration, efficiency and integrity, these being the main criteria, of course preference should be given to backward classes under similar cir-

circumstances. That means the country has got a right to demand efficient service from able persons, from capable persons.

"Experience in the past proves that reservations come in the way of healthy emulation and those who learnt to depend on reservations are oftentimes, not alert enough to improve their quality. They rest on their privileges and all zest for self-improvement is dulled".

This being the opinion of the Chairman of the Commission, all efforts should be made to achieve those objectives. What measures are to be taken to promote efficiency and capacity among the backward classes, to give them better facilities for better education? All these things should be immediately attended to. But there should not be reservation at the cost of efficiency, integrity and such other things.

Shri Sonavane (Pandharpur): Efficiency is also there.

Dr. Sarojini Mahishi: There may be difference of opinion. I do appreciate that. What I mean is that all facilities necessary for the upliftment of the backward classes should be given. I belong to the biggest backward class in the country.

Shri Sonavane: She enjoys better facilities.

Shri Hajarnavis: I hope we were all backward as you are, Madam.

Dr. Sarojini Mahishi: They should be given all facilities for developing their inherent capacity and latent talents. The backward classes should be provided all such facilities. Immediate steps should be taken in this direction so as to bring about an overall radical change in the society,

in the attitude towards these people who have suffered for ages together.

श्री हुकम चन्व कच्छबाय : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग का जो कमिशन संविधान के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था वह 19-1-53 को नियुक्त किया गया था । उस के बाद सन् 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की । मेरी समझ में नहीं आता कि जिस रिपोर्ट के अन्दर इतनी अच्छी बातें हैं वह कितनी व्यवहार के अन्दर है इस पर हम इतने दिन बाद विचार क्यों कर रहे हैं । अगर हम यह देखें उन पर कितना धमल हुआ है तो ऐसा लगता है कि वह नहीं के बराबर है । बात यह है कि कानून तो अच्छा बना दिया जाता है लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता । आज हर जगह पर निर्धनता और पिछड़ापन फैला हुआ है । आज लोगों को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह पैसा, नौकरी, जमीन, आदि चीजों की है । हम को विचार करना चाहिये कि आज आदिवासियों के अन्दर, पिछड़ी जातियों के अन्दर किस प्रकार की कठिनाई पैदा ही रही है । यदि मैं आदिवासियों के बारे में कहूँ तो यह कहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश के अन्दर, उन भोले भाले लोगों के बीच में जो ईसाई वर्ग काम करता है वह किस गति से कर रहा है । उनका धर्म परिवर्तन का काम कितने जोरों पर चल रहा है, यदि इस ओर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि उन को मामलूम हो जायेगा कि कितने आदिवासियों को ईसाई बनाया गया । मैं छोटा नागपुर के पास का एक किस्सा बतलाना चाहता हूँ । वहाँ पर चालीस लाख आदिवासी रहते हैं । काका कालेलकर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि इन 40 लाख लोगों के अन्दर 1 लाख ईसाई ऐसे हैं जो कि उन सारी सुविधाओं को ले जा कर उन का लाभ उठाते हैं जो कि वहाँ के 40 लाख लोगों को मिलती हैं । जैसे हरिजननों को या पिछड़ी जातियों को जो सहूलियत दी जाती है उनको वह पूरी नहीं मिल पाती । जो उनके नेता हैं वे सारी की

[श्री हुकमचन्द कछवाय]

सारी अपने पास रखते हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिला कि जो हरिजन या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी) :
कोरम नहीं है।

16.51 hrs.

(The quorum bell was rung).

Mr. Deputy-Speaker: There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.M. on Wednesday, that is the day after tomorrow.

16.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka).